आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

15.4.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 235/2016–17

अंचल अधिकारी, नरपतगंज, जिला–अररिया

बनाम

1. उमेश प्र0 गुप्ता, पिता–स्व0 मुक्ति प्र0 गुप्ता, सा0–फारबिसगंज, वार्ड नं0 2, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया
2. संतोष रंजन, पिता–विश्वनाथ प्र0 भगत, सा0–वार्ड नं0 14, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया
3. शक्ति कुमार, पिता–शिवनाथ प्र0 भगत, सा0–वार्ड नं0 14, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया
4. अलाउद्दीन, पिता–अब्दुल हमीद, सा0–वार्ड नं0 5, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया
5. चन्द्र दास निराला, पिता–इन्द्रदेव सिंह, सा0–वार्ड नं0 14, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के पत्रांक 622, दिनांक 26.09.2016 द्वारा प्रश्नगत विवरण की जमीन का जमाबंदी रद्द करने के निमित अभिलेख सं0 04/2016–17 (अंचल–नरपतगंज) का अनुशंसा के साथ प्राप्त होने पर प्रारम्भ की गई।

वादग्रस्त का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	कुल रकवा
बेला	658	1429	58.99 डी0	2267, 2268, 2272, 2273, 2279

संबंधित जमाबंदी रैयतों को सूचना निर्गत की गई, किन्तु सूचना प्राप्ति के पश्चात् जमाबंदी रैयत (द्वितीय पक्षकारगण) न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना कोई पक्ष प्रस्तुत किया गया। तदोपरांत इस वाद का अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आदेशार्थ निमित किया गया।

अभिलेख में संलग्न साक्ष्यों/अंचलाधिकारी, नरपतगंज का जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज एवं अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के अनुशंसा से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम सर्वसाधारण

खाते की है। जिसे निम्नांकित क्रेता द्वारा निबंधित दस्तावेज से क्रय कर नामांतरण वादों द्वारा जमाबंदी अपने नाम दर्ज कराया गया है, जिसका विवरण निम्न है :–

क्र0	क्रेता का नाम/पता	मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	नामांतरण वाद सं0	जमाबंदी सं0
1.	शक्ति कुमार, पिता–शिवनाथ प्रसाद भगत, वार्ड नं0 14, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया	बेला	658	1429	9 डी0	2665 15–16	2267
2.	संतोष रंजन, पिता–विश्वनाथ प्र0 भगत, सा0–वार्ड नं0 14, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया	बेला	658	1429	25 डी0	2398 15–16	2268
3.	मो0 अलाउद्दीन, पिता–अब्दुल हमीद, सा0–वार्ड नं0 5, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया	बेला	658	1429	08.333 डी0	2315 16–17	2279
4.	चन्द्र दास निराला, पिता–इन्द्रदेव सिंह, सा0–वार्ड नं0 14, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया	बेला	658	1429	08.333 डी0	6129 15–16	2272
5.	उमेश प्रसाद गुप्ता, पिता–स्व0 मुक्ति प्रसाद गुप्ता, सा0–वार्ड नं0 2, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया	बेला	658	1429	08.333 डी0	5642 15–16	2273

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि चूँकि गैर मजरूआ सर्वसाधारण खाते की है जिसका क्रय–विक्रय तथा नामांतरण होकर जमाबंदी दर्ज होना नियम के विरूद्ध है। यह भूमि सर्वसाधारण के उपयोग की है तथा राज्य सरकार के द्वारा ही नियमपूर्वक इसकी बन्दोबस्ती सुयोग्य श्रेणी के साथ की जा सकती है या सरकारी उपयोग में लायी जा सकती है। राजस्व कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से इनके नाम नामांतरण प्रस्ताव देकर जमाबंदी कायम करायी गई है। जिसके लिये तत्कालीन् राजस्व कर्मचारी मो0 रईस आलम को चिन्हित कर कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2071/रा0, दिनांक 06.09.2016 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

अतएव अंचलाधिकारी, नरपतगंज/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज तथा अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा उक्त भूमि का दर्ज की गई जमाबंदी सं0 2267, 2268, 2272, 2273 एवं 2270 को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। उक्त आलोक में उक्त पाँचो दर्ज की गई जमाबंदी को रद्द किया जाता है तथा अंचलाधिकारी, नरपतगंज को आदेश दिया जाता है कि उसे मूल जमाबंदी गैरमजरूआ सर्वसाधारण खाते में

शामिल कर दें।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 4/2016–17 मूल के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचलाधिकारी, नरपतगंज को भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह0/-
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह0/-
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 36 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 15/04/2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, नरपतगंज को जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 04/2016–17 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

15.4.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया